राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:–राजपत्रित/डीपीसी/एसीआर/2018/ 570 दिनाक 31/8/18

श्री ज्ञानेश कुमार,
चीफ एडिटर – "जवाब दो सरकार"
4/209, चित्रकूट वैशाली नगर,
वार्ड नम्बर 21, जयपुर।

विषय:– दिनांक 21.05.2018 को प्रमुख समाचार पत्र : दैनिक भास्कर, जयपुर में प्रकाशित खबर शीर्षक "जनता की चिंता करने वाले विभाग के पास डॉक्टरों की हैल्थ रिपोर्ट नहीं" के संबंध में।

सन्दर्भ:– राजस्थान संपर्क परिवाद क्रमांक 05180543704839

उपरोक्त शीर्षक एवं संदर्भित परिवाद के क्रम में लेख है कि कार्मिक विभाग के पत्रांक प.13(51)/का./क–1/गो.प्र./08 जयपुर दिनांक 25.08.2015 के द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार राज्य सेवा के सेवारत अधिकारी जिनकी आयु 50 वर्ष एवं इससे अधिक है, की स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण/जाँच अनिवार्य रूप से करवायी जा रही है, परिपत्र की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान,जयपुर

Scanned by CamScanner

6	Kindney Function Tests (i) Blood Urea (ii)S.Creatinine (iii) S. Uric Acid
7	Cardiac Profile (i) S.LDH (ii) CK-MB (iii) SGOT For Men: PSA (Symptomatic/optional)
8	X-RAY-Chest (optional)
9	ECG
10	USG Abdomen
11	Gynaecological Health Check up (i) Pelvic Examination (ii) Local Examination (iii) Per Vaginum (P/V) (iv) Per Speculum (v) Surgical Examination (vi) Breast Examination
12	Eye Examination(optinal) (i) Distant Vision (ii) Vision with Glasses (iii) Colour Vision (iv) Tonometry (if needed) (v) Fundus Examination
13	ENT (optinal) (i) Oral Cavity (ii) Nose (iii) Throat (iv) Larynx (v) Hearing Check up
14	Hbs Ag

Summary of Medical Report (only copy of this part is to be attached to PAR)

1.	Overall Health of the Officer	
2.	Any other remarks based on the health medical check up of the officer.	
3.	Health Profile grading.	

Date:

Signature of Medical Authority
Name of Medical Officer
Designation.

3. उक्त चिकित्सा परीक्षण, चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों तथा राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क होंगे।
4. संबंधित अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य जांच करवाने के पश्चात किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी को जांच रिपोर्ट दिखाई जायेगी। स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा अतिरिक्त जांच कराने की सलाह दी जाती है तो ऐसी जांचों का पुनर्भरण चिकित्सा परिचर्या नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अनुज्ञेय होगा।
5. इन चिकित्सकीय जांचों हेतु अधिकारी को किसी प्रकार का पृथक से विशेष अवकाश व यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. अधिकारी की आयु की जांच संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर की जायेगी।

Scanned by CamScanner

7. यह परिपत्र वित्तीय वर्ष 2015–16 से लागू होगा व चिकित्सा परीक्षण प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर से माह जनवरी तक कराया जा सकेगा।
8. वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग प्रथम के कॉलम संख्या 6 के बिन्दु संख्या 4 में भी संशोधन कर दिया गया है। कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का संशोधित प्रपत्र संलग्न है।

आज्ञा से,

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव (प्रथम / द्वितीय), मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त मंत्री / राज्यमंत्री, राज. जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / उप शासन सचिव।
6. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों एवं इससे संबंधित चिकित्सालयों तथा राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा परीक्षण निशुःल्क करवाने के संबंध में निर्देश जारी करवावें।
7. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया समस्त राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा परीक्षण निशुःल्क करवाने के संबंध में निर्देश जारी करवावें।
8. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों एवं इससे संबंधित चिकित्सालयों तथा राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा परीक्षण निशुःल्क करवाने के संबंध में निर्देश जारी करवावें।
9. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया समस्त राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा परीक्षण निशुःल्क करवाने के संबंध में निर्देश जारी करवावें।
10. समस्त संभागीय आयुक्त।
11. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
12. प्रशासनिक सुधार (संहिताकरण) विभाग अनुभाग–7 कापियों सहित।
13. प्रोग्रामर,कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।

(अभिमन्यु कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

पत्र क्रमांक: प. 13(51)/का0/क–1/गो.प्र./08 जयपुर, दिनांक 25 AUG 2015

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान राज्य सेवा के समस्त सेवारत अधिकारी जिनकी आयु 50 वर्ष एवं इससे अधिक है, की स्वास्थ्य संबंधी कुछ विशिष्ट परीक्षण/जांचे अनिवार्य रूप से कराई जानी हैं। अत 50 वर्ष या इससे अधिक आयु के सेवारत राज्य सेवा के अधिकारी, तीन वर्ष में एक बार, चिकित्सा महाविद्यालयों से सबंद्ध चिकित्सालयों अथवा राजकीय चिकित्सालयों से चिकित्सा परीक्षण करवाकर, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के साथ प्रतिवेदक अधिकारी को वर्ष 2015–16 एवं उसके पश्चात के प्रतिवेदनों के साथ संलग्न कर निम्नानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें:–

क.स.	01.04.2015 को आयु	वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष	अनिवार्य स्वास्थ्य जांच का वर्ष
1.	वे अधिकारी जिनकी आयु 56 से 59 वर्ष की है।	2015–16	2015–16
2.	वे अधिकारी जिनकी आयु 53 से 56 वर्ष की है।	2016–17	2016–17
3.	वे अधिकारी जिनकी आयु 50 से 53 वर्ष की है।	2017–18	2017–18

2. उपरिवर्णित तालिका अनुरूप समस्त राजस्थान राज्य सेवा के अधिकारियों को निम्नांकित जांचे यथासमय करवाना अनिवार्य होगा:–

S.No.	Investigations under Annual Health Check-up for State service officers.
1	Haemogram (i) CBC (ii) DLC (iii) PBF
2	Urine Examination (i) Colour (ii) Albumin (iii) Sugar (iv) Mircoscopic Examination
3	Blood Sugar (i) Fasting (ii) Post-prandial (if needed)
4	Lipid Profile (i) Total Cholesterol (ii) HDL Cholesterol (iii) LDL Cholesterol (iv) VLDL Cholesterol (v) Triglycerides
5	Liver Function Tests (i) S.Bilirubin (Total) (ii) S. Bilirubin (Direct) (iii) SGOT (iv) SGPT

Scanned by CamScanner